उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की दिनांक 6.3.99 को सम्पन्न हुई वर्ष-1999 की 172वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 6.3.99 को बैठक प्रारम्भ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1-	श्री महेश दत्त शर्मा	अध्यक्ष
2-	श्री आर0के0 मित्तल, आवास आयुक्त	सदस्य
3-	श्री रामवृक्ष प्रसाद, संयुक्त सचिव (प्रतिनिधि, आवास सचिव उ0प्र0 शासन लखनऊ)	सदस्य
4-	श्री एम0पी0 अनेजा मुख्यनगर एवं नियोजक उ0प्र0	सदस्य
5-	श्री मुकुल जोशी, उप निदेशक (प्रतिनिधि, सचिव सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।	सदस्य
6-	डा0एन0के0गर्ग, उप निदेशक (प्रतिनिधि निदेशक, सी0बी0आर0आई0 रूडकी)	सदस्य
7-	श्रीएस0के0वर्मा मुख्य अभियन्ता उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य

विशेष आमन्त्री के रूप में:-

1-	श्री सुबोध शंकर मुख्यवास्तुविद नियोजक उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
2-	श्रीएस0सी0दीक्षित, विधिपरामर्शदाता उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य

बैठक में विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मत्ति से निम्नवत निर्णय लिये गये:-

क्रमस0	विषय	निर्णय
1	2	3

1	2	3
1	परिषद की 171वी बैठक दि0 23.9.98 की कार्यवृत्त की पुष्टि ।	पुष्टि की गयी।
2-	परिषद की 171वीं बैठक दिनांक 23.9.98 की अनुपलन आख्या	अवलोकन किया गया ।
3-	परिषद की अवलोकनार्थ टिप्पणियो की सूची।	अवलोकन किया गया
4-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनो/भूखण्डो के आवंटन मे समाज के विकलांग व्यक्तियो को आरक्षण के सम्बंध में।	अनुमोदित।
5-	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-04 मे भाऊराव देवरस योजना के अन्तर्गत 1456नग लघु मध्यम आय वर्ग एफ-45प्रकार के चारमंजिले फलेट का निर्माण	अनुमोदित
6-	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-19 मे स्वंय वित्त पोषित परियोजना-98 एक के अन्तर्गत एफ-95प्रकार के 24 व एफ-127 प्रकार के16गन फलैटस की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध मे।	अनुमोदित
7-	ग्राम देवपुर पारा (बीबीखेड़ा)लखनऊ मे प्रस्तावित गोकुल ग्राम योजना द्वितीय के कार्यो की प्रशासक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध मे।	अनुमोदित
8-	परिषद की राजाजी पुरम योजना लखनऊ के सेक्टर-13मे सामुदायिक विकास केन्द्र एवं अन्य विकास कार्य हेतु श्रीरामसेवा समिति को भूमि आवंटन के सम्बन्धमे।	मदस056 के अनुसार निर्णय अनुमोदित किया गया ।
9-	भूमिविकास एवं ग्रहस्थान योजना संख्या-1 कानपुर मे समाविष्ठ ग्राम लखनपुर के खसरा संख्या-177मे श्रीमती सुशीला बाजपेई द्वारा धारा-28की विज्ञप्ति के पश्चात अवैध रूप से क्रय की गई ढाईबिस्वा भूमि के सम्बन्ध मे।	भूमिदर का 60प्रतिशत विकास शुल्क के रूप मे लिया जायेगा तथा शेषशर्ते यथावत रहेगी के साथअनुमोदित

10, रामपुर रोड भूमि विकास एवं ग्रहस्थान योजना सं0-2 देहरादून के अधिग्रहण के सम्बन्ध मे।	अनुमोदित
11- देहरादून रोड योजना संख्या-1 रुड़की के विस्तार के सम्बन्ध में।	प्रकरण पर अभी निर्णय स्थगित रखने का निर्णय लिया गया ।
12 परिषद मे कार्यरत चालको को वर्ष मे एकबार 15 दिन के मूलवेतन के बराबर मानदेय दिए जाने के सम्बंधमे।	अनुमोदित करते हुए उक्त सुविधा 01 अप्रैल-99से दिए जाने का निर्णय लिया गया ।
13- श्री राम स्वरुप गौतम कनिष्ठ लेखाधिकारी को रुपया-62500·00 का भवनअग्रिम स्वीकृत करने के सम्बन्धमे।	अनुमोदित।
14- चतुर्थश्रेणी कर्मचारियो को साईकिल भत्ता की दरो मे वृद्वि के सम्बन्ध मे।	अनुमोदित।
15 श्री ईश्वरत अली साईक्लोस्टाईल आपरेटर को प्रोन्नत वेतनमान दिए जाने के सम्बन्ध में	1·3·95से वेतनमान 1025-1720 तथा 1·1·96से 1200-2040 वेतनमान दिएजाने का अनुमोदन किया गया ।
16 तदर्थ आधार पर नियुक्त चालको के विनियमितीकरण के सम्बंधमें।	अनुमोदित
17 आवास आयुक्त के आदेश दिनांक 26·12·97 द्वारा पारित दण्ड के विरूद्व श्री बी0एस0बर्मासहा0अभियंता की अपील दिनांक 25·3·98	अध्यक्ष म0को सुनवाई करके निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया ।
18- श्रीराम सजीवन यादव अवर अभियन्ता को स्वयं के हृदय केआपरेशन हेतु चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्धमे।	अनुमोदित
19, परिषद के लेखाधिकारियो के सेवा विनियम की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित
20 स्व0श्रीतेजसिंह भारती माली को परिषद द्वारा आवंटित भवन के बिरूद्वस्वीकृत भवन अग्रिम माफ करने के सम्बंध में।	अनुमोदित तथा भविष्य मे इस प्रकार के प्रकरण मे निर्णय लिये जाने के आवासआयुक्त को अधिकृत किया गया।
21- परिषद के सम्पत्ति प्रबंधक/सहायकलेखाधिकारी स्व संवर्ग को शासनादेश दि0 5·2·97मे दी गई व्यवस्था के अनुसार सेलेक्शन ग्रेड/प्रोन्नत वेतनमान की सुविधा अनुमन्य किए जाने के सम्बंधमें।	प्रस्ताव और परीक्षण हेतु वापस किया गया
22- स्व0श्री उमेश चन्द्र शर्मा स0श्रे0-1 को परिषद द्वारा आवंटित भवन अग्रिम की आधी धनराशि माफ करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित ।
23- चरण विहारयोजना सं0-1बडौत के विकास कार्यो की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्धमे।	अनुमोदित ।
24- वसुन्धरा योजना संख्या-3 गाजियाबाद के सेक्टर-3 में आंशिक स्वयंवित्तपोषित परियोजना के अंतर्गत (62/113)म0आ0वर्ग प्रकार के 170 नग फिनिश्ड भवनो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्धमें	अनुमोदित।

25	तैलीबाग योजना लखनऊ मे केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान को 40हैक्टेअर तथा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूटआफ सिक्योरिटी एंड सैफटीमैनेजमेंट नईदिल्ली को 32.00 हैक्टेयर भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।	यह निर्णय लिया गया कि जो भूमि रियायती दरो पर दी जायेगी उसे फ्रीहोल्ड नही किया जायेगा तथा किश्तो के भुगतान का कमिटमेंट भी प्राप्त करना होगा ।आवश्यकता अनुसार भूउपयोग के परिवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये। उक्त दरे 30जून99 तक प्रभावी रहेगी।
26-	निरस्तीकरण के उपरांत व्यवसायिक सम्पत्तियो के पुनर्जीवन के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया गया कि ऐसे मामलो मे जिनमे कब्जा आवंटी के पास है निरस्तीकरण की तिथि से 6माह तक संयुक्त आवास आयुक्त/स्वीकृताअधिकारी द्वारा तथा 5 बर्ष तक आवास आयुक्त के स्तर से निर्णय लिया जा सकेगा।5बर्ष से अधिक पुराने सभी मामले परिषदके समक्ष प्रस्तुत किए जायेगे। जिन सम्पत्तियो का कब्जा परिषद के पास है उनके सम्बन्ध में प्रस्ताव यथावत अनुमोदित किया गया।
27-	परिषद की शास्त्रीनगर योजना सं0-3मेरठ स्थित श्री बी0एन0शर्मा अधिशासी अ[illegible] को प्रदिष्ट भवन सं0 सी-69के सम्बंध में।	अनुमोदित।
28-	परिषद के बिजनौर योजना के अन्तर्गत उच्च आय वर्ग भवन सं0-62के आवंटन के सम्बन्धमें।	अनुमोदित
29-	सुहागनगर योजना फिरोजाबाद स्थित दु0आ0व0 भवनो के दंड ब्याजको माफ करने एव भवनो मे अध्यासित व्यक्तियों को नियमित आवटन के सम्बंध में।	अनुमोदित।
30	शिकोहाबाद स्थित भवन संख्या एक बी-110 (म0आ0व0) के विरुद्ध विनियम-45के अंतर्गत जब्त धनराशि को बहाल किये जाने के सम्बंध में।	अस्वीकृत ।
31-	परिषद की जी0टी0बी0नगर योजना इलाहाबाद में एम0एल0 कानवेंट स्कूल के पक्ष मे भूमिआवंटन के सम्बंधमें।	अनुमोदित।
32-	परिषद की इन्दिरानगर योजना लखनऊ के सेक्टर-6 में सामुदायिक सुविधा हेतु निर्धारित भूखण्ड सं0331/1क्षेत्रफल 500वर्गमी0 को उ0प्र0 पेरेन्टस एसोसिएशन फार वेलफेयर हैंडीकाप्ट सिटीजन लखनऊ को आवंटित किए जाने के सम्बन्ध में।	40प्रतिशत भूमिदर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
33	राजाजीपुरम योजना लखनऊ मे स्थित उच्च आय वर्ग भवन संख्या 1869 का आवंटन ।	अनुमोदित।

34-	मूल्यांकन निर्देशिका 86 (संशोधित संस्करण-992) मे किये गये संशोधन का अनुमोदन।	अनुमोदित
35-	जनताक्षण योजना के अन्तर्गत परिषद द्वारा अतिदेय धनराशि के भुगतान करने पर लिये जानेवाले अधिकृत ब्याज आदि के सम्बन्ध में।	आवास आयुक्त महोदय द्वारा परीक्षणोपरांत प्रकरण पर अध्यक्ष जी को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया ।
6-	लखनऊस्थित योजनाओ मे पार्को के रखरखाव हेतु अभियान ।	अनुमोदित।
7-	परिषद मे निर्माण/विकास कार्यो हेतु ठेकेदारो के पंजीकरण तथा उसके नवीनीकरण की अवधि बढाये जाने के सम्बंधमें।	अनुमोदित।
8-	योजना संख्या-1 कानपुर मे समाविष्ट ग्राम दौलतपुर धामीखेडा के खसरा संख्या-157की 2 बिस्वा (204•87व0मी0)भूमि के बदले में 100वर्गमी0 साईज कारूक विकसित भूखंड असुधार शुल्क लेकर आवंटित करने के सम्बंध में।	अनुमोदित
9-	परिषद की भूमि विकास एवं गृहस्थान योजनासं0-4 रामपुर मे स्थित खसरा सं0-76-77जिसमें फलदार वृक्ष हो उसे छोडते हुए योजना चलाये जाने विषयक।	प्रकरण शासन को संस्तुति सहित भेजने का निर्णय लिया गया। छोडने वाली भूमि का उपयोग यथावत रहने पर असुधार शुल्क देय न होगा। किन्तु यदि भूमि का आवासीय या व्यवसायिक प्रयोग किया जाता है तो असुधार शुल्क नियमानुसार देय होगा।
-	सिकन्दरा योजना आगरा मे समाविष्ट ग्राम ककरेठा की भूमि के सम्बंध में निर्मित एल0ए0 वाद सं0-5/92 एवं 6/92 मे मा0 ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 18•3•98के क्रम में निगोशिएशन सेटलमेंट के आधार पर भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	समिति की संस्तुति स्वीकृत की गई।
1-	योजना संख्या-1 छिबरामऊ के अन्तर्गत ग्राम छिबरामऊ देहात के खसरा संख्या-128 मे 0•05एकड भूमि श्री रामबरनपाल के पक्ष मे असुधार शुल्क लेकर आवंटित करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
2-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओबरीभूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3 बाराबंकी मे स्थितश्रीआर0के0टंडन के भूमि खसरा सं0-510 एवं 511/1के सम्बंध में।	इस शर्त के साथ अनुमोदित कि जो भूमि परिषदद्वारा ली जायेगी उसका कोई प्रतिकर प्रार्थी द्वारा नही लिया जायेगा शेष प्रस्ताव यथावत अनुमोदित।
	श्रीमती माधुरीदूबे को इज्जत नगर योजना सं0-2	अनुमोदित।

	बरेलीमे स्थित ग्राम उदयपुरखास के खसरा स०38 मे 1000वर्गगज भूमि मे से 500वर्गगज भूमि दिए जाने के सम्बन्ध मे।	
44-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की योजना सं0-1 बडौत मे समाविष्ट श्री शान्तिसागर धर्मार्थ अस्पताल की भूमि के सम्बन्ध मे।	अनुमोदित।
45-	वसुन्धरा योजना संख्या-3 के सेक्टर-3 मे आंशिक स्वयं वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत (137/123)उच्चआयवर्ग प्रकरण के 188नग सेमीफिनिश्ड भवनो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध मे।	अनुमोदित।
46-	मंगलपाण्डे नगर योजना मेरठ मे आंशिक स्वंय वित्त पोषित परियोजना 96 बी के अन्तर्गत पंजीकरण के आधार पर बिभिन्न श्रेणी के 5 फिनिश्ड एवं 152 नग सेमीफिनिश्ड भवनो के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध मे।	अनुमोदित।
47	कानपुर योजना संख्या-1 के सेक्टर जी व एच मे प्रस्तावित 59नग42/108प्रकार के सेमीफिनिश्डभवनो के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करनेके सम्बन्ध में।	अनुमोदित
48-	चतुर्थश्रेणी/कार्यप्रभारित कर्मचारियो से प्रभारी सहायक श्रेणी-3 के रूप मे तैनात कर्मचारियो की नियमित प्रोन्नति किए जाने के सम्बन्ध मे।	प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन की स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया ।
49-	परिषद की तेलीबाग योजना लखनऊ मे तैनात अधिकारियो/कर्मचारियो को विशेष वाहन भत्ता दिए जाने के सम्बन्ध मे।	अनुमोदित।
50-	दैनिक वेतनभोगी चतुर्थश्रेणी कर्मचारियो के विनियमितीकरण के सम्बन्ध मे।	1-10वर्ष से अधिक सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियो के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया । 2-साथ ही शेष कर्मचारी जिनकी सेवाअवधि 10वर्ष पूर्ण नही हुई है,के विनियमितीकरण के प्रस्ताव पर शासन की स्वीकृति प्राप्त किए जाने का निर्णय लिया गया ।
51-	मस्टररोल/दैनिक वेतन लिपिक पर 10वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियो को न्यूनतमवेतनमान ,महगाईभत्ता एवं अतिरिक्त महगाईभत्ता स्वीकृत करने के सम्बंधमे।	प्रकरण मे समग्र रूप से विचार करने हेतु निम्न प्रकार की समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया :- 1-आवास आयुक्त 2-मुख्यअभियंता, जलनिगम 3-मुख्यअभियंता, आवास विकास परिषद

52- परिषद के कार्यक्षेत्र एवं बढे हुए कार्यकलापो के सुनियोजित कार्यान्वयन एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु अभियंत्रण अधिकारियो के वर्तमान मे उपलब्ध स्वीकृत पदो के सूचीकरण के सम्बंधमें।	प्रस्ताव और परीक्षण हेतु वापस किया गया ।
53- शासनादेश दिनांक 20मार्च1991 से प्रख्यापित उ0प्र0सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 के प्राविधानो को परिषद अधिष्ठान मे अंगीकृत करने के सम्बन्ध में।	शासनादेश केप्रस्ताव का अध्ययन करके प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया ।
54- परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ मे स्टाफक्वार्टर मध्यम आय वर्ग भवन संख्या-सी1234 तथा सी-1206 को क्रमशः श्रीमती आशातिवारी तथा माननीय पूर्व विधायक श्री घनश्याम शुक्ल को नीलामी प्रक्रिया से मुक्त करते हुए तत्काल योजना अन्तर्गत आवंटित किए जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
55- परिषद की इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊमे स्थित उच्च आय वर्ग भवन संख्या-11/159के विरूद्ध देय दण्डब्याज को माफ करने के सम्बन्ध मे	अनुमोदित।
56- परिषद योजनाओ मे सामुदायिक केन्द्र भूखण्डो के आवंटन एवं भुगतान प्रक्रिया के सम्बन्ध में।	ऐसे भूखण्डो के आवंटन हेतु उपयुक्त गाईड लाईन्स बनानेका निर्णय लेते हुए प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
57- परिषद की वसुन्धरा योजना गाजियाबाद मे न्यायकुञ्ज सहकारी आवास समिति लि0 के सदस्यो को विकसित भूखण्ड आवंटन किए जाने के सम्बन्ध में।	तत्काल 10 प्रतिशत शुल्क लेकर आवंटन का निर्णय लिया गया ।समिति को पूर्व में आवंटित भूमि का निरस्तीकरण किया गया ।
8- परिषद की वसुन्धरा योजना गाजियाबाद मे उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद कर्मचारी सहकारीआवास समिति लि0गाजियाबाद को विकसित भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में।	वर्तमान मूल्य पर परिषद कर्मचारियो को देय 5प्रतिशत छूट के साथ आवंटित किए जाने का निर्णय लिया गया ।
9- परिषद की राधिकाविहार योजना मथुरास्थित आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनो की बकाया धनराशि वसूलने तथा छूट दिए जाने के समबन्ध में।	अनुमोदित।
0- परिषद की रूद्रपुर योजना स्टाफक्वार्टर भवन संख्या-ए-340 के आवंटन के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
- परिषद की योजना संख्या-2चन्दौसी स्थित	अनुमोदित।

	अल्प आय वर्ग भवन स्टाफक्वार्टर भवन संख्या-33 के आवंटन के सम्बन्ध मे।	
62-	परिषद की विकासनगर योजना लखनऊ मे स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 2/सी-78 के आवंटन हेतु आफर स्वीकृत करने के सम्बन्ध मे।	न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा किये जाने तथा स्थगन आदेश को अपास्त करवाने की कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया ।
63-	परिषद की विकास नगर योजना लखनऊ मे स्थित स्टाफ क्वार्ट म0आ0व0 भवन संख्या-4/561को स्टाफक्वार्टर से अवमुक्त करते हुए आवंटित किए जाने के सम्बन्धमे।	अनुमोदित।
64-	परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के सेक्टर-25 मे प्रस्तावित दो नग धार्मिक भूखण्ड आवंटन के सम्बन्धमे।	प्रस्ताव वापस लिया गया ।
65-	परिषद की कमला नगर आगरा स्थित {स्टाफक्वार्टर} अल्प आय वर्गभवन सं0-डी-579श्री आत्मारामत्रिपाठी केपक्ष मे आवंटन करने के सम्बन्ध में ।	तत्कालश्रेणी मे आवंटित किए जाने तथा साधारण दर से किराये लिये जाने का निर्णया लियागया।
66-	परिषद योजनाओ मे विकसित भूखण्डो पर बेसमेंट सहित तीनमंजिले भवनो को अनुमन्य किया जाना।	विचारविमर्श के दौरान संज्ञान मे लाया गया कि इस सम्बन्ध मे शासनद्वारा नीति निर्धारित कीजा रही है अत:निर्णय लिया गया कि शासन के नीति की प्रतीक्षा की जाय। तथा अभी वर्तमान नियमो के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय।
67-	विशेष अभियान के अन्तर्गत स्वत:निर्धारण कमपाउन्डिग योजना ।	यह निर्णय लिया गया कि 31मार्च1999 तक रजिस्ट्रेशन हेतु रु0 1000·00जमा करके 30अप्रैल 1999तकआवेदक अपना प्रकरण प्रस्तुत कर सकते है।
68	दिल्लीसहारनपुर रोड भूमिविकास एवं ग्रहस्थान योजना लोनी गाजियाबाद हेतु पर्सपेक्टिव एवं विकास प्लान तैयार कराना एवं भूमि अर्जन हेतु नई तकनीकी को विकसित करने हेतुपरामर्शी की नियुक्ति।	निर्णय लिया गया कि पर्सपेक्टिव एवं विकास प्लान तैयारकरने से पहले सी0बी0आर0आई0द्वारा योजना का अध्ययन करते हुए उसकी प्रारंभिक आख्या प्रस्तुतकी जाय। तथा शासन स्तर पर इस योजना के बारे मे निश्चित मत करने का प्रयास किया जाय ताकि भू-उपयोग परिवर्तनमे समन्वय हो सके।

69	परिषद मे स्थित पार्कों तथा ग्रीनबेल्ट के रखरखाव हेतु लाईसेन्स पत्र दिए जाने के सम्बन्ध मे।	निर्णय लिया गया कि पार्कों के सम्बन्ध में स्कूलों के भूखण्ड आवंटन हेतुजारी नवीनतम शासनादे के अनुरूप कार्यवाही की जाय । 2-ग्रीनबेल्ट के सम्बन्ध मे लाईसेन्स की नीति व सैद्धान्तिक स्वीकृति देते हुए प्रत्येक प्रकरण व पृथक पृथक परीक्षण करते हुए गुण अवगुण आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया ।
70	परिषद की राजाजीपुरम योजना लखनऊ के सेक्टर-6 मे स्टेडियम निर्माण हेतु 19,160वर्गमीटर भूक्षेत्र केआवंटन के सम्बन्ध मे।	मद संख्या-87 के अनुसार निर्णय लिया गया ।
71-	कुर्सी रोड योजना(विस्तार)लखनऊ मे समाविष्ट खसरा संख्या-328,357,358एवं 360 की भूमि के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया गया कि वाद की अद्यतन स्थिति की जानकारी कर ली जाय तथा स्थल निरीक्षण करते प्रकरण का परीक्षण करा कर आवश्यकतानुसार प्रस्ताव परिषद के समक्ष पुनः रखा जाय ।
72-	कुर्सी रोड विस्तार योजना लखनऊ मे समाविष्ठ ग्राम बटहा सबौली के खसरा संख्या-521 की-1-8-0 बीघा भूमि को योजना मे समाविष्ट किए जाने के सम्बन्ध मे।	अवगत कराया गया कि प्रकरण मे शासन स्तर पर शिकायत प्राप्त हुई हैतथा शासन द्वारा इस सम्बन्ध पत्र आवास आयुक्त को भेजा गया है अतः निर्णय लिया गया कि शासन के पत्र के क्रम में यथोचित कार्यवाही(जॉच)कराने के उपरान्त ही निर्णय लिया जाना उपयुक्त होगा ।
73-	झूँसी योजना संख्या-3इलाहाबाद के विकास कार्यो की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध मे।	निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण का पुनः परीक्षण कर लिया जाय ।
74-	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-19 मे स्वयं वित्त पोषित योजना 98 सी के अंतर्गत एफ-95प्रकार के 16नग फ्लैटस की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बंधमे।	अनुमोदित।
75-	परिषद मे कम्प्यूटरीकरण का विस्तार।	टी0सी0एस0के अनुबन्ध को इस शर्तकेसाथ अनुमोदित किया गया किस्टेट ट्यूटरी लेवी मेहुई कमी का लाभ भी परिषद को पासआन कियाजाय। 2-कैडर गठनका प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि कोर ग्रुप के पद पर भर्ती के स्रोत एवं आवश्यक अर्हताओ का निर्धारण शासन में परामर्श कर निर्धारित किया जायेगा ।
76-	झूसी योजना संख्या-3इलाहाबाद मे मैसर्स साजमहाउसिंग कम्पनी प्राईवेटलि0 को आवंटित 24·39एकड़ (98687·00 वर्गमीटर (अविकसित/विवादित भूमि के मूल्य एवं रजिस्ट्री किए जाने के सम्बन्ध मे।	निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा आवंटित भूमि का पूरा पैसा जमा करने पर ही अविवादित भूमि की रजिस्ट्री की जा सकती है अन्यथा पूरे प्रकरण पर पुनर्विचार कियाजायेगा ।

77	परिषद की डालणडेरी योजना लखनऊ के अन्तर्गत मैसर्स खादी ग्रामोद्योग को आवंटित दुकान से लगी खुली भूमि के आवंटन के सम्बन्ध मे।	निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूमि पर उस सीमा तककियोस्क का निर्माण एक मंजिला कर दिया जाय जिससे सीवर तथा ड्रेनेज के प्रवाह से अवरोध उत्पन्न न हो तथा भूमि दर यथावत व्यवसायिक रखी जाय ।
78-	परिषद की इन्दिरा नगर योजना रायबरेली मे जनकल्याण समिति के सदस्यो के पक्ष मे प्रविष्ट भवनो के विरुद्ध आरोपित अतिरिक्त /दंडब्याज को माफ करने के सम्बंध मे।	अनुमोदित।
79-	काशीपुर योजना संख्या-1मे स्वफक्वार्टर संख्या-97 तथा 97/1 को तत्काल श्रेणी मे आवंटन के सम्बन्ध मे।	अनुमोदित।
80-	योजना संख्या-1 के सेक्टर-1 मंगलपाण्डे नगर मेरठ मे आवंटित भूखण्डों पर अनिर्माण शुल्क की धनराशि मे छूट दिए जाने के सम्बन्ध मे ।	अनुमोदित।
81-	इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के सेक्टर-17 स्थित स्वफक्वार्टर आलोक प्रिय डिजाईन दु0आ0व0 भवन संख्या-17/130 के अनारक्षित करते हुए तत्काल योजना के अन्तर्गत आवंटन के सम्बन्ध मे।	अनुमोदित
82-	श्री एस0एम0ए0बुखारी अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध गठित विभागीय जाच के सम्बन्ध मे।	अनुमोदित।
83-	निर्माण खण्ड-13 लखनऊ मे कार्यरत तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री ओ0पी0सिंहल सम्प्रति अधीक्षण अभियनता (तृतीयवृत्त मेरठ के विरुद्ध रु0- 65228·00 मूल्य के बिटुमिन से सम्बन्धित आर्थिक क्षति की जाच के सम्बन्धमे।	निर्णय लिया गया कि न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जाय।
84-	परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ मे स्थित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या डी-1115(स्वफभवन)श्री हरेनारायण शुक्ल वित्तनियंत्रक (सांस्कृतिक निदेशालय) उ0प्र0 जवाहरभवन लखनऊ के पक्ष मे तत्काल योजना के अन्तर्गत आवंटित किये जाने के सम्बन्ध मे।	विकल्प दो अनुमोदित।
5-	परिषद कीवसुन्धरा योजना गाजियाबाद मे स्टेटबैंक आफी बीकानेर एंड जयपुर को उनके स्वफ हेतु25नग स्वंय वित्त पोषित के सम्बन्ध मे।	अनुमोदित
-	परिषद द्वारा नगर के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास मे योगदान सम्बन्धी शासनादेश के सम्बन्ध मे	निर्णय लिया गया कि शासनादेश के क्रियान्वय मे संभावित कठिनाईयो की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मार्गदर्शन प्राप्त किया जाय।

87-	परिषद की राजाजीपुरम योजना लखनऊ के सेक्टर-6 मे स्टेडियम निर्माण हेतु 19,160वर्गमीटर भूक्षेत्र के आवंटन के सम्बन्ध में।	अनुमोदित। भू उपयोग मे आवश्यक परिवर्तन भी कर लिय जाय।
88-	विनियम-28§4§मे नगद क्रय पद्वति पर प्रदिष्टसम्पत्ति का किश्त क्रय पद्वति मे भुगतान विकल्प परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध मे।	अनुमोदित
89-	परिषद की शास्त्रीनगर योजना संख्या-3मेरठ मे स्थित सरस्वती शिशुमंदिर को आवंटित स्कूल भूमि के साथ लगीअतिरिक्त भूमि क्षेत्रफल 4303·66 वर्गमीटर के आवंटन भुगतान के सम्बंध मे।	विचार विमर्श केपश्चात सरस्वती शिशुमन्दिर मेरठ केपक्ष मे 4303·66वर्गमीटर भूमि शासनादेश के अन्तर्गत आवंटित किए जाने का निर्णय लिया गया ।
90-	राजाजीपुरम योजना लखनऊ मे स्थित उच्च आय वर्ग भवन संख्या 1847/1का आवंटन ।	अनुमोदित
91	अधीक्षण अभियन्ता§ विद्युत§वेतनमान रु0-3700-5000को मुख्यअभियन्ता स्तर -2के वेतनमान रूपया-5100-6150 में उच्चीकृत करने के सम्बंधमें।	अनुमोदित करते हुए शासन को संदर्भित कियेजाने का निर्णय लिया गया ।
92-	परिषद मे कार्यरत समूह क खश्रेणी के अधिकारियो को सेवा अवधि मे अवकाश नकदीकरण सम्बन्धी सुविधा समाप्त करने तथा समूह ग,घ श्रेणी के कर्मचारियो के नकदीकरण धनराशि सम्बन्धी कर्मचारी के भविष्य निधि खाते मे अनिवार्य रूप से जमा किए जाने के सम्बन्ध मे	अनुमोदित।
93-	खून के रिश्ते मे सम्पत्ति अंतरण के सम्बंध मे।	अनुमोदित।
94-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की वसुन्धरा योजना गाजियाबाद मे काश्तकारो के प्रतिकर के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक टिप्पणी।	परिषद को स्थिति से अवगत कराया गया ।
95-	श्री आर0सी0सक्सेना §निलम्बित§सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता के बिरूद्व विचाराधीन विभागीय जाच के प्रसंग मे।	प्रकरण मे वर्तमान स्थिति के आधार पर आवास आयुक्त को उपयुक्त निर्णय लेने के लिये अधिकृत किया गया ।

पुष्टि की गयी

ह० [illegible] शर्मा

अध्यक्ष